कार्यालय महाप्रबंधक
मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित
(म. प्र. शासन का उपक्रम)
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, जबलपुर

रजि. कार्यालयः डी विंग, द्वितीय तल, विन्ध्यांचल भवन, भोपाल CIN–U41000MP2012SGC028798
(Website: www.mpjalnigam.co.in **Tel- 0761-2422466** e-mail-gmjabalpur.mpjalnigam@mp.gov.in)

क्रमांक 693/महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2020 जबलपुर, दिनांक 16.07.2020

प्रति ,

वन मंडल अधिकारी
सामान्य वन मंडल
जबलपुर

विषय : जबलपुर जिले में पायली ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत सड़क किनारे पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.9063 हैक्टेयर वन भूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, जबलपुर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ : 1.ऑन लाईन प्रकरण क्र. FP/MP/WATER/45654/2020 (42241/2019 का भाग)
2.आपका पत्र क्रमांक डी.एम./1361 जबलपुर दिनांक 10.06.2020

–000–

विषयांतर्गत लेख है कि आपके संदर्भित पत्र द्वारा NPV की वांछित रू. 30,71,344/– की राशि CAMPA फंड में जमा करा दी गयी है एवं सैद्वांतिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है : –

S.No	Conditions of Forest Department	Compliance by UA
1	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तत रहेगा ।	सहमत।
2	माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा WP(C) 202/95 मे आई.ए. क्रमांक 566 में पारित आदेश दिनांक 30/06/2002, 01/08/2003, 28/03/2003, 24/04/2008 एवं 09/05/2008 के अनुपालन में भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक/5–1/1998–एफ.सी. (Pt.II) दिनांक 18/09/2003 एवं पत्र क्रमांक 5–2/2006– एफ.सी. दिनांक 03/10/2006 तथा पत्र क्रमांक 5–3/2007 एफ.सी. दिनांक 05/02/2009 के अनुसार स्वीकृत की जा रही 4.9063 हैक्टेयर वन भूमि हेतु नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि रूपये 30,71,344/– मात्र आवेदक संस्थान द्वारा ऑन लाईन जमा कराई जानी होगी।	जमा कराई जा चुकी है।
3	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से एक्पर्ट कमेटी को यदि कोई प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो तदानुसार नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा आवेदक संस्थान से ली जावेगी। आवेदक संस्थान तदाशय का वचन पत्र देवें।	वचन पत्र संलग्न।
4	वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के तहत की जावेगी। राईट ऑफ वे का तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।	सहमत।
5	वन भूमि पर पाईप लाईन बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खन्ती का आकार 2 मीटर गहरा एवं स्वीकृत चौड़ाई (1मीटर) से अधिक नहीं होगी।	सहमत।
6	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोडकर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा।	सहमत।
7	रखरखाव की अनुमति वन मण्डलाधिकारी से प्राप्त की जावेगी।	सहमत।
8	समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वंय के व्यय पर खोदी गयी खन्ती से निकाली गई मिट्टी से किया जायेगा।	सहमत।
9	समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जायेगा।	सहमत।

10	किसी भी वृक्ष की कटाई नहीं की जावेगी। खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जायेगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों की जडों को नहीं काटा जायेगा।	सहमत।
11	यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वन मण्डल अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।	सहमत।
12	आवेदक/आवेदक संस्थान **लिखित वचन पत्र** देवें कि यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य शासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र.क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त/राशि निर्धारित की जाती है तो ये सभी शर्तें उन्हे मान्य होंगी एवं राशि यथा स्थिति तत्काल देय होगी।	सहमत।
13	पाईप लाईन बिछाने के प्रकरणों में राजस्व वन या छोटे बडे झाड का वन या वन जैसा कि सिविल याचिका क्रमांक/202/95 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.1996 के निर्णय के पालन में राजस्व विभाग के परिपत्र क्र./16–10–सात/2–ए/90 दिनांक 13.01.1997 में परिभाषित है, के संबंध में आवश्यक जानकारी आवेदक संस्थान द्वारा अपने प्रस्ताव में सम्मिलित कर आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह स्वीकृति केवल वन भूमि के लिए जारी की जा रही है जो कि वन विभाग के अधिपत्य में है। यदि आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा राजस्व विभाग के अधीन वन क्षेत्र (छोटे बडे झाड का जंगल) में खुदाई की जाती है तो राजस्व विभाग द्वारा उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए वन विभाग को सूचित किया जाये, ताकि वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत कार्यवाही की जा सके।	सहमत।
14	सूर्यास्त के पश्चात कोई कार्य नहीं किया जायेगा।	सहमत।
15	वन भूमि पर कोई श्रमिक पड़ाव नहीं लगाया जावेगा।	सहमत।
16	कार्य की स्वीकृति/प्राक्कलन, कार्य संपादन कराने वाले अधिकारी /कर्मचारियों के नाम, पदनाम व पूर्ण पते भी परिक्षेत्र कार्यालय में सूचित किये जावेगें।	सहमत।
17	कार्य आरंभ करने के पूर्व संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी बरगी को सूचना दी जावे।	सहमत।

अनुरोध है कि कृपया औपचारिक अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.इकाई, जबलपुर

पृ.क्र. 694/महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2020 जबलपुर, दिनांक 16.07.2020

प्रतिलिपि

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.इकाई, जबलपुर

Annexure-I

UNDERTAKING

I Sanjay Wadhwa, in capacity of General Manager, M.P. Jal Nigam Maryadit, Project Implementation Unit, Jabalpur, on behalf of M.P. Jal Nigam Maryadit, do hereby undertake that M.P. Jal Nigam Maryadit will pay additional amount of the NPV of diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert committee.

General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
P.I.U. Jabalpur